BOARD OF MEDICAL HEALTH SCIENCE & RESEARCH
UTTAR PRADESH

Office : B-5/32, Ashra Enclave, Sec.-18,
Near Trama Center, SGPGI, Lucknow.
Mobile No.: 8810883057
E-mail : upbmhsr@gmail.com

Ref.: MDo/8/251(Affl.)

Dated : 25-8-2022

College Code - 251

सेवामें,

निदेशक / प्राचार्य,
Shri Chandra Dev Paramedical & Nursing College
Kharabad, Muhamdabad Gohana,
Mau - 276403

AFFILIATION
Board of Medical Health Science & Research
Lucknow-Uttar Pradesh
AKL 25-8-2022

विषयः– पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु संस्था को तीन वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

बोर्ड आफ मेडिकल हेल्थ साइंस एण्ड रिसर्च, उत्तर प्रदेश की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.08.2022 में की गई। कार्य परिषद की स्वीकृति के अनुपालन में आपके प्रशिक्षण केन्द्र को तीन वर्ष के लिए पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु निम्नांकित विवरण के अनुसार अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है–

S.N.	Branch Name	Course Name	Affiliation Intake Approved Seats
1	Para Medical	D.M.L.T.	60
2	Para Medical	D.O.T.	60
3	Nursing	G.N.M.	60
4	Nursing	A.N.M.	60
5	Pharmacy	D. Pharma	60

उपरोक्त अस्थाई मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है–

1. संस्था द्वारा NCI, New Delhi/PCI, New Delhi/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/U.P. State Medical Faculty और बोर्ड आफ मेडिकल हेल्थ साइंस एण्ड रिसर्च, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा बोर्ड के निरीक्षण मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदन्त अस्थाई मान्यता स्वतः निरस्त समझी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।
2. निरीक्षण मण्डल द्वारा सुविधाओं एवं सेवायोजित शिक्षकों के सत्यापन के साथ–साथ संस्थान का लेखा का आडिट भी बोर्ड द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।
3. संस्थान बोर्ड द्वारा प्रवेश शुल्क के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगा। बोर्ड द्वारा D.O.T. और D.M.L.T. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू0 25,000/– G.N.M. एवं A.N.M. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू0 25,000/– और D. Pharma प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क रू0 25,000/–प्रति वर्ष निर्धारित है। इसकी अवहेलना करने पर बोर्ड द्वारा संस्थान की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है। पठन–पाठन एवं अनुशासनिक प्रबंधों की समीक्षा की जाएगी। त्रुटि पाए जाने पर प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

5. बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तों के अधीन संस्था प्रवेश स्वयं करेगी।
6. बोर्ड द्वारा संस्था के प्रशिक्षण के संबंध में समय–समय पर जारी गए समस्त निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही संस्थान शिक्षण–प्रशिक्षण से संबंधित वांछित सूचना बोर्ड को समय से उपलब्ध कराएगा।
7. संस्था द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2023 तक अपनी प्रवेश सूची मय प्रपत्रों सहित बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। प्रवेश सूची का परीक्षण करने के उपरान्त छात्रों को इनरोलमेन्ट नंबर निर्गत किया जाएगा तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक प्रविष्ट छात्रों की सूची जमा नहीं करती है, तो उस संस्था का सत्र शून्य माना जाएगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने पर यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है, तो पद रिक्त होने की तिथि से 60 दिन के अंदर रिक्त पद पर नियुक्ति कर ली जाए, जिसकी सूचना बोर्ड को अवश्य करायें।
9. सत्र प्रारम्भ होने पर संस्था कार्यरत शिक्षकों को बिना बोर्ड की अनुमति के सेवा से नहीं निकाल सकेगा। संस्था इस संदर्भ में बोर्ड को 15 दिन (कार्य दिवस) के अंदर अवश्य सूचित करें।
10. शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में बोर्ड द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
11. संस्थान की समस्त सूचनाए, लैब एवं उसके उपकरणों की संपूर्ण विवरण, शुल्क आदि संस्था के वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए तथा सूचना बोर्ड को भी अवगत करायें। अन्यथा संस्था के विरूद्ध बोर्ड द्वारा यथोचित कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जाएगा।
12. जिन संस्थानों को शासन/बोर्ड द्वारा कोई नोटिस जारी की जाती है, तो संबधित सम्बद्धता कार्यवाही के अधीन होगी।
13. संस्थान प्रवेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने पर और अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर बोर्ड द्वारा संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
14. बोर्ड द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिए गए दायित्वों का पालन सुनिश्चि करवाना संस्था का दायित्व होगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में संस्था के औचक निरीक्षक में किसी प्रकार की कमियाँ पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थाई मान्यता स्वतः निरस्त समझी जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्था का होगा।

भवदीय

B. K. Singh

(बी.के. सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

MANAGING DIRECTOR
Board of Medical Health Science & Research
Lucknow-Uttar Pradesh
25-8-2

पत्रांक - MDo/Q/251(Affl.) 1-8 dated - 25.8.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, नर्सिंग कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, फार्मेसी कांउसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
8. गार्ड फाइल।

भवदीय

(बी.के. सिंह)
प्रबन्ध निदेशक